प्रेस विज्ञप्ति

03/09/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मधुकॉन टोल हाईवे लिमिटेड, मधुकॉन इंफ्रा लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 31.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई एसीबी रांची द्वारा मेसर्स रांची एक्सप्रेसवेज लिमिटेड (आरईएल) और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई ने मेसर्स रांची एक्सप्रेसवेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सीबीआई मामलों के माननीय विशेष न्यायाधीश, रांची के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए मधुकॉन समूह द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड का गठन किया गया था। मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड इस परियोजना का इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) ठेकेदार था। मधुकॉन समूह पूर्ण ऋण राशि प्राप्त करने के बावजूद परियोजना को पूरा नहीं कर सका और बाद में उनका अनुबंध समाप्त कर दिया गया और माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स आरईएल ने केनरा बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ से 1030 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया था। हालांकि, मधुकॉन समूह ने पूरे ऋण राशि का उपयोग बताए गए उद्देश्य के लिए नहीं किया और इसे अन्य कार्यों में उपयोग के लिए अपनी संबद्ध संस्थाओं को दे दिया और अपने संबंधित शेल संस्थाओं को फर्जी काम देकर ऋण की हेराफेरी भी की। कई वर्षों से समूह की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी और रांची-जमशेदपुर परियोजना के लिए टेंडर जीतने के बाद, मधुकॉन समूह ने मेसर्स आरईएल नामक एक एसपीवी बनाया और प्रमोटरों द्वारा फर्जी निवेश दिखाने के लिए ऋण निधियों की राउंड ट्रिपिंग की। आखिरकार, मधुकॉन समूह ऋण नहीं चुका सका और ऋण खाता एनपीए में बदल गया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि मधुकॉन समूह के प्रमोटरों ने अपने एसपीवी से पूरा ईपीसी अनुबंध लेकर ऋण निधियों को निकाल लिया और फिर अपनी अन्य परियोजनाओं के लिए भारी मात्रा में मोबिलाइजेशन और सामग्री अग्रिमों को डायवर्ट कर दिया। ऋण निधि को उनके द्वारा नियंत्रित उप-ठेकेदारों / फर्जी संस्थाओं को भी डायवर्ट किया गया और उनसे 75.50 करोड़ रुपये की नकदी वापस प्राप्त की गई। इन उप-ठेकेदारों ने कोई काम नहीं किया पीएमएलए जांच के दौरान अब तक 365.78 करोड़ रुपये के ऋण कोष के डायवर्जन की पहचान की गई है। ईडी ने पहले मामले में तलाशी ली थी और आपत्तिजनक सबूत और 34 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की थी। ईडी ने मधुकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनके निदेशकों से संबंधित 96.21 करोड़ रुपये की 105 अचल संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों को भी कुर्क किया था।

आगे की जांच जारी है।